बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

भू–अर्जन निदेशालय,बिहार, पटना।

प0सं0–14 / डी0एल0ए0, (भारत–नेपाल सीमा पथ)–सीतामढ़ी–205 / 2013–............ / रा0, पटना–15, दिनांक–..... / .... / 2013

अधिसूचना

संख्या–15 / डी0एल0ए0, सीतामढ़ी – 2860 / रा0,पटना, दिनांक– 10 – 12 – 13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– अजरकव्वे भारसंड थाना नं0-17 राजस्व थाना–सीतामढ़ी, परगना अंचल–सोनवरसा, थाना– सोनवरसा जिला–सीतामढ़ी, में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् भारत–नेपाल सीमा पथ निर्माण के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम– अजरकव्वे भारसंड के अन्दर 2.779 एकड़ भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश बी0 / क0 / धूर है, जो 2.779 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:–

खेसरासंख्या:–90अं0,87अं0,86अं0,91अं0,85अं0,81अं0,82अं0,80अं0,83अं0,37अं0,36अं0,38अं0,39अं0,40 पूर्ण एवं छुट रकवा

इसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

चौहद्दी	ग्राम– अजरकव्वे भारसंड, थाना नं0–17
उत्तर	सीमान उरलहिया
दक्षिण	सीमान कन्हौली
पूरब	खेसरा नं0 91अं0,81अं0,80अं0,37अं0,38अं0एवं40अं0
पश्चिम	खेसरा सं0 90अं0,87अं0,86अं085अं0,82अं0,83अं0,37अं0,36अं0,एवं39अं0,

यह अधिसूचना अधिनियम–1,1894(बिहार अधिनियम–11,1961 द्वारा यथा संशोधित) की धारा–4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय मे देखा जा सकता है और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि कुल–2.779 एकड़ भूमि कृषि योग्य तथा उसका तुरन्त अर्जन आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 (ए) अंश के उपबंध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

समाहर्त्ता,
सीतामढ़ी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।

(P.T.O)

ज्ञापांक–15/डी0एल0ए0, सीतामढ़ी / – 2860 /रा0,पटना, दिनांक– 10 - 12 - 13

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी को अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सीतामढ़ी।

9/12/13

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।